Bharatiya Jyotisham
पर्येति भावयन् लोकान्

JYOTIRVEDA PRASTHANAM

Peer Reviewed Refereed Journal

UGC CARE LISTED ISSN 2278 - 0327

BHARATIYA JYOTISHAM
L -108, Asharam Nagar, Phase-3, Laharpur, Bhopal - 462043
Web - www.bharatiyajyotisham.com
Email - bharatiyajyotisham@gmail.com

Certificate of Publication

Sl. No.60

This is to certify that the Paper entitled

शिक्षक शिक्षा में निहित जेंडर संवेदीकरण से जुड़े पहलुओं का समीक्षात्मक अध्ययन

Authored by :

रफ़त फातिमा

शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग

ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Co- Authored by :

डॉ. नलिनी मिश्रा

सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग

ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Has been published in

Jyotirveda Prasthanam, Volume-11, issue-05
November - December 2022

R Pachori
(Dr. Rohit Pachori)
Editor

P.V.N.B. Srilakshmi
(P.V.N.B Srilakshmi)
Publisher

ISSN 2278 - 0327

शिक्षक शिक्षा में निहित जेंडर संवेदीकरण से जुड़े पहलुओं का समीक्षात्मक अध्ययन

रफ़त फातिमा
शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग
ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. नलिनी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र विभाग
ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध सार

विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरंतर गिरावट जेण्डर संबंधी असमानता का प्रमुख प्रमाण है। सामाजिक रूढ़िवादी सोच, घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा और महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार इसके कुछ अन्य रूप है। लोकतांत्रिक समाज के निर्माण एवं विकास के लिए उसमें विभेदों को समाप्त किया जाना आवश्यक है। महिलाओं में जेण्डर समानता की स्थापना के लिए स्त्रियों में शिक्षा को आवश्यक माना गया है। बालिका को शिक्षा प्राप्ति के अवसर बालक के समान उपलब्ध हो अर्थात् अभिभावक, अध्यापक एवं समाज उस हेतु किसी प्रकार की जेण्डर विभेद की अभिवृत्ति न रखें। इस लेख के माध्यम से जेण्डर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। पाठ्यक्रम में बदलाव, पाठ्य पुस्तकों में लिंग संवेदीकरण सम्बंधित पाठ, शिक्षकों द्वारा समानता का व्यवहार आदि बिंदुओं को भी शामिल किया गया है।

बीज शब्द- जेंडर संवेदीकरण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षक शिक्षा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा

प्रस्तावना

भारत में नहीं अपितु विश्व के सभी देशों में समाज के महिला व पुरुष के बीच लैंगिक असमानता व्याप्त है। अवधारणात्मक आधार पर लैंगिकता समाज व समुदाय द्वारा स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिकाओं, जिम्मेदारियां उनके स्वाभाविक गुणों और शक्ति संबंधों को इंगित करती है। यह संस्कृति क्षेत्रीय विभिन्नता सामाजिक आर्थिक प्रस्थिति से संबंधित होती है अर्थात् समाज द्वारा ही स्त्री पुरूष में भेदभाव उत्पन्न किया जाता है। महिला व पुरुष के मध्य असमानता समाज की व्यवस्था के अनुसार परिस्थितियों का निर्माण है। ए. ओकले के द्वारा लिंग तथा जेण्डर के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है। इनके अनुसार लिंग महिला व पुरुष के मध्य जैविक विभाजन है तथा जेंडर सामाजिक समानान्तर गैर बराबरी है जोकि स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के आधार पर बंटी हुई है। इस प्रकार जेण्डर महिला और पुरूष के बीच समाज द्वारा रचित अंतरों के साथ संबंधित है। इसका संबंध न केवल व्यक्तिगत पहचान से है। बल्कि मूल्यों, मानकों वैचारिकी से भी संबंधित है। विश्व के सभी समाजों के महिला व पुरुष के मध्य असमानता जेंडर के आधार पर तय की गई है। समाज में श्रम विभाजन का अधार भी जेण्डर ही रहा है। महिलाओं का कार्यक्षेत्र घरेलू व पारिवारिक संगठन का कार्य तथा पुरुषों का कार्य क्षेत्र शारीरिक श्रम को माना गया है।

जेण्डर की परिभाषा एवं अर्थ

जेण्डर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की और संकेत करता है। जिनकी रचना हमारे परिवार समाज और संस्कृति द्वारा की गई है। ये भूमिका एवं उत्तरदायित्व अधिगामित है जो कि समय के साथ और विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार परिवर्तित हो सकते है। समाज की संरचना, संगठन और व्यवस्था में जेण्डर की समानता और असमानता का विशेष महत्व है। जेण्डर की असमानता समाज की संतुलन व्यवस्था है और विकास को प्रभावित करती है। पुरूषों और स्त्रियों को विकास हेतु पर्याप्त समान अवसर प्राप्त न होने की स्थिति को जेण्डर असमानता कहा जाता है। वर्तमान युग के विश्व में जेण्डर समानता की स्थापना को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है तथा मानवाधिकार संरक्षण के समर्थकों ने स्त्रियों के प्रति होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय, हिंसा अत्याचार या भेदभाव का आधिकाधिक विरोध करना प्रारंभ किया है। विश्व के विकसित देशों में लिंगीय समानता जहां वास्तविकता का आकार ले रही है। विकासशील एवं अविकसित देशों में भी यह कोरे आदर्श के रूप में ही स्वीकार है और अभी पुरुषों की बराबरी करने में महिलाओं को काफी समय लगेगा। *लिंग (जेंडर)*- लिंग शब्द अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिन्दी रूपान्तरण है। सामान्यतः लिंग शब्द का प्रयोग पुरुष एवं स्त्रियों के गुणों के पर्याय तथा उनके समाज द्वारा उनसे अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। फेमिनिस्ट के अनुसार सामाजिक लिंग को स्त्री-पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री-पुरुष के मध्य असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक विज्ञानों में लिंग के सामाजिक पक्षों को उसकी जैविकीय पक्षों से अलग कर जेण्डर के

रूप में समझने और अध्ययन करने की एक नई शुरूआत हुई है। जेण्डर संप्रत्यय स्त्रियों और पुरूषों के बीच सामाजिक रूप से निर्मित भिन्नता के पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करता है। किन्तु आजकल जेण्डर का प्रयोग व्यक्तिगत पहचान और व्यक्तित्व को इंगित करने के लिए ही नहीं किया जाता है। पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व संबंधी रूढ़िवद्ध धारणाओं और संरचनात्मक अर्थों में संस्थाओं और संगठनों में जेण्डर भेद के रूप में भी किया जाता है।

जेण्डर असमानता से तात्पर्य

समाज में महिला व पुरुष को अलग ही नहीं देखा जाता बल्कि असमानता का व्यवहार किया जाता है। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। विभिन्न समाजों में विभिन्न रूप में विभिन्न क्षेत्रों में दिखता है। जेण्डर असमानता को स्वाभाविक या कहे कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनशील मान लिया जाता है। लेकिन जेण्डर असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इसे दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकायें हैं। भारत में अनेक हिस्सों में मां - बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके उसी मानसिकता से पनपते है। हमारे देश का लिंग अनुपात (प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या) गिरकर 933 रह गया है। परिवार में बुजर्गों के द्वारा किये गये लिंग भेद तो हमारी जानकारी में होते हैं, किन्तु हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में फैले लिंगभेद जो बहुत हल्के में लिये जाते है, वो भी उतने ही प्रभावशील होते है। सामुदायिक स्तर पर भी स्त्री और पुरुषों में काफी असमानता दिखाई देती है। जैसे पुरूष अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं और स्त्रियों को सामुदायिक कार्यों में नेतृत्व के पर्याप्त अवसर नहीं दिये जाते हैं। जिम्मेदारी वाले कार्यों में स्त्रियों को कम भागीदारी दी जाती है। एक ही व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कम महत्वपूर्ण कार्य दिये जो है। क्योंकि उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों के योग्य ही नहीं समझा जाता है। जैसे सेना की नौकरी स्त्रियों की हिस्सेदारी और भूमिका बहुत कम है। ज्ञातव्य है कि प्रशासकीय स्तर पर भी सर्वोच्च पदों पर स्त्रियों की कमी है। भेदभाव के चलते संसद में भी इनका प्रतिनिधित्व अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में बहुत कम है। इन्हीं भेदभाव के कारण स्त्रियां प्रताड़ना और परेशानियों का शिकार होती है। सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। वे अक्सर छेड़छाड की शिकार होती है। प्राय: इस प्रकार का दुर्व्यवहार सभी प्रकार की महिलाओं को झेलना पड़ता है चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण पढ़ी लिखी हो या निरक्षर पेशेवर हो या घरेलू।

जेण्डर असमानता के सिद्धान्त

समाजशास्त्र में स्त्री-पुरुप के बीच ना केवल असामनता स्वीकार किया गया है बल्कि इस संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत भी प्रतिपादित किये गये है जिसमे विशेष रूप से प्रचलित सिद्धान्त है-

उदारवादी सिद्धान्त- इस सिद्धान्त के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता का प्रमुख कारण समाजीकरण में भेदभाव है। यह बात जगजाहिर है कि आज भी सभी समाजों में ग्रामीण नगरीय बालक और बालिकाओं के समाजीकरण के पक्षपात किया जाता है। जो आगे चलकर प्रमुख कारण साबित होता है। पुरुषों द्वारा विशेषाधिकार पर उनके दावों का, जिसमें एक तरफ पुरूषों को विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है तो दूसरी तरफ स्त्रियों को विभिन्न प्रकार के पोषण और निर्योग्यताओं में ढकेल देता है और पुरुष प्रधान समाज सामाजिक मूल्य को सिखाता है। ये बाते स्त्रियों के प्रति हीन भावना को विकसित करती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं भी नारी शोषण को बढ़ावा देती है और जेण्डर असमानता का पोषण करती है।

उग्र- उन्मूलनवादी या रेडिकल सिद्धान्त

यह सिद्धान्त समाज में जेण्डर असमानता या नारी की निम्न स्थिति का कारण उदारवादी एवं मार्क्सवादी सिद्धान्त की तरह समाजीकरण और पूंजीवादी को मानते के बजाय अज्ञानता एवं परतंत्रता को इसका मुख्य कारण मानता है। तात्पर्य यह है कि समाज में स्त्रियों को निम्न और समानता पूर्ण स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस विषय पर विद्वानों के बीच मतभेद होना ही चाहिए पर इस विषय पर एकमत दिखता है कि आज भी समाज में स्त्रियों की स्थिति काफी सोचनीय एवं कमजोर है। शायद यही वह परिप्रेक्ष्य है, जिससे महिला सशक्तिकरण की अवधारणा समाज के सामने उभरकर आती है। इसी कारण समाज का जो वर्ग या तबका कमजोर है स्वाभाविक रूप से उसी के सशक्तिकरण की बात होगी।

जेण्डर असमानता की चुनौतियां

वर्ल्ड इकॉलोमिक फोरम द्वारा 28 अक्टूबर 2014 को जेण्डर समानता पर जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत इस सूचकांक पर पिछले वर्ष के 101 वें स्थान से लुढ़ककर अब 144 वें स्थान पर पहुंच गया है- चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका भी भारत से आगे हैं। एक तरफ विकास के तमाम आंकड़ें और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी और समृद्ध संस्कृति होने का हमारा दावा, जिसमें घोर विडंबना दिखाई पड़ती है। भारत में महिलाओं की स्थिति में गिरावट कोई नई बात नहीं है। खासकर भूमण्डलीकरण के दौरे के बाद यह स्थिति बिगड़ी है। यह कहना उचित नहीं होगा कि औरतें काम नहीं करना चाहती और उनके संस्कार उन्हें घर से बाहर काम करने से रोकते है। अर्जुन सेन गुप्ता की जो रिपोर्ट आई थी उससे भी इसकी पुष्टि होती है। जितनी भी औरतों से बात हुई है सभी ने यही कहा हैं कि सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़कर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाए, परिवार के लिए आर्थिक स्तर पर भी कुछ योगदान करें। किन्तु हमने जो विकास का रास्ता चुना है, जो रोजगार रहित वृद्धि हो रही है उसमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा ही नहीं हो रहे हैं। गांवों की बात छोड़ दीजिए, दिल्ली जैसे शहर में एनएसएसओ के नवीनतम

ISSN 2278 - 0327

आंकड़ों के अनुसार महिलाओ की रोजगार हिस्सेदारी मात्र 9.4 प्रतिशत है।

जेण्डर समानता के पैमाने पर भारत पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत में लिंग अनुपात दर बहुत कम है और इससे अपेक्षित सुधार के बजाय गिरावट के संकेत है। भारत में महिलाओं की बदतर स्थिति का सबसे बड़ा कारण तो उनके प्रति सांस्कृतिक सामाजिक स्तर पर भेदभाव ही है। पढ़ लिखे भी भारतीय महिलाओं के लिए हिंसा और असामनता की चुनौतियां बनी हुई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, शिक्षाविदों और सरकार सभी को मिलकर प्रयत्न करना होगा और सबसे ज्यादा महिला को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के लिए सजग होना पड़ेगा। जब तक कि महिलायें अपने ऊपर होने वाले अपराधों को चुपचाप सहन करती रहेगी, उन पर अत्याचार होते रहेगे। अत: महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और आवश्यकता पड़ने पर न्याय की शरण में जाना पड़ेगा। साथ ही पुरुषों की भी अपनी रूढिवादी सोच और नारी को उपभोग की वस्तु समझने की मानसिकता को बदलना पड़ेगा तभी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और अपराधों में कमी आयेगी। विश्व की आबादी का लगभग आधा भाग महिलाओं का है, जो परिवार, समाज एवं देश के विकास के अनिवार्य एवं अति महत्वपूर्ण योगदान करती है। फिर भी परिवार और समाज में उन्हें आज तक उन्हें वांछनीय स्थान नहीं मिल सका जिसकी वह वास्तविक हकदार है। किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो ऐसा माना जाता है कि वह समाज भी सुदढ़ और मजबूत होगा। आज भारतीय महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जैसे तमाम मोर्चों पर कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति यह है कि लगभग प्रत्येक परिवार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार लगभग पुरूष अपने पास रखते हैं और महिलाएं उनकी हां में हां मिलाने को बाध्य है। दहेज वैधव्य बाल विवाह तलाक जैसी अनेकों सामाजिक तथा कथित धार्मिक और सामाजिक परंपराओं और प्रावधानों को निभाने की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर थोप दी गई है। भारत में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है, इस समाज के विकास में उनके योगदान और उन्हें प्राप्त प्रस्थिति में व्याप्त विरोधाभास के रूप में देखना और समझना होगा। इसी विरोधाभास को इंगित करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि नारी को अबला कहना उनका अपमान करना है। नारी स्वयं भांति स्वरूपणी है, आवश्यकता केवल उन्हें पहचानने को एवं सामाजिक रूप से स्वीकृत करने की है।

जेंडर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षा की भूमिका

एक पुरुष की अपेक्षा एक नारी को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एक पुरुष को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है जबकि एक नारी को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। सरकार बालिकाओं की शिक्षा को विशेष महत्व देने के लिए वचनबद्ध है। यह स्वीकार करती है कि यदि सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा को यथार्थ रूप में साकार करना है तो बालिकाओं की प्रवेश संख्या को बढ़ावा होगा, उनकी स्कूल छोड़ने की दर को कम करना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संक्रमण काल में विभिन्न पद्धतियों को अपना होगा। जैसे औपचारिक, अनौपचारिक, संक्षिप्त कार्यक्रम एवं रात्रि स्कूल आदि प्रारंभ करने होंगे। बालिकाओं की बालकों के स्कूल में उपस्थिति बनाये रखने के लिए स्कूल के वातावरण को सुखद एवं सुरक्षित बनाना व शिक्षक कार्य को आनन्दमय बनाना आवश्यक है।

शिक्षा में जेण्डर समानता का अर्थ होगा रूढ़िगत विचारों के ऊपर उठकर बालक एवं बालिका को समान शैक्षिक व्यवस्थाएं एवं अवसर उपलब्ध करवाना, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों पर लिंग भेद के कारण प्रभाव न हो सकें। शिक्षा में जेंडर संवेदनशीलता लाना आवश्यक है। बालिका शिक्षा की सफलता की पहली शर्त महिला एवं महिला शिक्षा के प्रति रूढिवादी विचारों, मापकों, मूल्यों एवं मापदण्डों को पूरी तरह से ध्वस्त कर आधुनिक एवं सम लिंगवादी मूल्यों को समाज में स्थापित करना है, ताकि लोग लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकने की जगह हाथ पकड़कर पाठशाला तक छोड़ने आये। महिला शिक्षा पर खर्च की जाने वाली रकम फिजूल खर्च और दूसरे के बगिया के फूल में पानी देने वाली नकारात्मक मानसिकता को ध्वस्त कर हर खर्च को एक विनियोग एवं समाज के मानव संसाधन का विकास के रूप में देखने की मानसिकता वाले लोगों को पैदा करना।

जेंडर संवेदीकरण में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों जैसे विद्यालय शिक्षकों पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्ष सभी का समान योगदान है। सभी के द्वारा बालिका को बालक के समान व्यवहार दिया जाये। इस हेतु एक समान पाठ्यचर्या, शिक्षण पद्धतियां एवं शैक्षिक व शिक्षण सामग्री हो जो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा जेण्डर रूढिवादिता से मुक्त हो। शिक्षक होने के कारण हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है। शिक्षक शिक्षा के द्वारा जेंडर संवेदीकरण को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना आवश्यक है। बालिका शिक्षा की उपादेयता के प्रति समाज में जागृति लाना, जिससे केरल की भांति प्रत्येक 10 में से 9 बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर दें। शिक्षक परिवर्तन के प्रमुख नियामक होते हैं। वे विद्यालय में बच्चों के रोल मॉडल होते है। विद्यार्थी द्वारा उनका ही अनुसरण करते है। शिक्षक को विद्यालय में जेण्डर संवेदनशीलता के लिए कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना होगा। स्वयं उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा

जिससे वे समानता का वातावरण विद्यालय में उत्पन्न कर सकें। विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान उन्हें कार्य व्यवहार में जेण्डर संवेदनशीलता की समझ उत्पन्न करनी होगी। बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना होगा। कक्षा कक्ष में उन्हें बालकों को समान ही महत्व दे, बालिका द्वारा किये गये कार्य की सराहना करें एवं उन्हें बेहतर कार्य हेतु प्रेरित करें। उनके समक्ष जेंडर समानता के उदाहरण प्रस्तुत करें। साथियों का व्यवहार विद्यालय का संगठन, वातावरण एवं अनुशासन बालिका के प्रति सहयोगात्मक हो। जिससे बालिका शिक्षिका को भी बढ़ावा दिया जाये। जेण्डर पक्षपता से मुक्त पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकें तैयार करना एक राष्ट्र की गुणवत्ता उसके नागरिकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है तथा नागरिकों की गुणवत्ता काफी हद तक उनकी शिक्षा पर निर्भर करती है।

शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं अपने नियोजित और संरचित पाठयक्रम के द्वारा न केवल बच्चों को साक्षर करती है, बल्कि उनके चारों और होने वाले परिवर्तनों को अपनाने तथा उनके प्रति अनुकूलित होने में मदद करती है। एक पाठ्यक्रम विद्यालय द्वारा किये जाने वाले सभी प्रयासों का संग्रह है जिसके द्वारा विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर की परिस्थितियों में वांछित परिणाम प्राप्त किये जाते है, यह बालक का बौद्धिक, शारीरिक भावानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और नैतिक विकास करता है। प्राचीन भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की परम्परा थी। दुर्भाग्यवश कालान्तर में महिला शिक्षा की दशा अवनत होती गई। स्वाधीनता से पूर्व की महिला शिक्षा सीधे तौर पर महिलाओं की भूमिका जैसे गृहिणी और माता से जुड़ी थी। शिक्षा पुरुषों को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करने से संबंधित थी क्योंकि महिलाओं से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह घर के बाहर कार्य करें। अत: पाठ्यक्रम भी उतनी सामाजिक भूमिका के अनुसार ही था। इसी दौरान कुछ विषयों का नारीवाद विषयों के तरह उदय हुआ धंधा, संगति, गृह विज्ञान आदि। जबकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान गणित आदि विषयों में पुरूषों से संबंधित माना जाता था।

स्वाधीनता के पश्चात के समय को महिलाओं की उनके घरों से मुक्ति के समय के तौर पर इंगित किया जाता है। शिक्षित लोगों के धार्मिक आडम्बर और सामाजिक रूढ़िवादी विचारों में गिरावट आने लगी पाठ्यक्रम में जेण्डर समानता संबंधी शिक्षा के अन्य उपलब्धि कोठारी कमीशन द्वारा दी गई सिफारिशों के द्वारा प्राप्त हुई। इस कमीशन के अनुसार बालिका शिक्षा के विरुद्ध परम्परात पूर्वाग्रह को कम करने हेतु जन सामान्य को शिक्षित करना होगा। जहां तक संभव हो मिश्रित प्राथमिक विद्यालय होने चाहिये। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाने चाहिए। जेंडर संवेदीकरण हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पक्षपात से मुक्त करने हेतु सुझाव वर्तमान समय में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार का कार्य बहुत ही गंभीर रूप से किया जाता हैं। एन.सी.ई.आर.टी. ने 124 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया है जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कहा जाता है। एन.सी.एफ (2005 दस्तावेज के अनुसार समानता के लिए हमें पाठ्यपुस्तकों का प्राथमिक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए। क्योंकि यह शिक्षा हेतु बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए भी प्राव्य संसाधन है। एन.सी.एफ. के अनुसार नई पाठ्यपुस्तकें लिखते और तैयार करते समय इस बात का ध्यान में रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही जेण्डर संवेदनशील बनाना है तथा उन्हें जेण्डर रूढ़िवादिता से दूर रखना है। इसके पीछे सम्पूर्ण भावना है कि विद्यार्थी यह महसूस कर सकें कि महिलाएं पुरुषों के कम योग्य अथवा समर्थ है इस सोच का कोई आधार नहीं है।

वर्तमान संदर्भ में उठने वाले मुद्दों के आधार पर कहा जा सकता है कि एन.सी.एफ (2005 में प्रस्तावित सुधार स्वागत योग्य है लेकिन अभी भी पाठ्यपुस्तकों व पाठ्यक्रमों से जेण्डर रूढ़िवादिता को कम करने की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है- पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में वहां संशोधन करने की आवश्यकता है

जहां महिलाओं का चित्रण केवल अच्छी गृहणियों की तरह किया गया है। पुरुषों के समान महिलाओं की उपलब्धियों को शामिल करने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें एक जेण्डर समिति जिसमें अकादमिक, नारीवाद, इतिहासकार, सरकार आदि शामिल हो जिससे पाठ्यक्रम में गुणवत्ता एवं यह सुनिश्चित हो जाये कि पाठ्यपुस्तकें जेंडर भेद से मुक्त हो। बालिकाओं के स्थान के बारे में सतही सोच से लिखने के बजाय लेखकों को परिवार में बालिकाओं की वास्तविक स्थिति को महसूस करके लिखना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन को एक साधारण क्रिया की तरह नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि इस पर राज्य सरकार का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- राव, आर. के. (2002). वुमन एंड एजुकेशन, नई दिल्ली: कल्पना पब्लिकेशन।
- पतंजलि, पी.सी. (2007). डेवेलोपमेंट ऑफ वुमन एजुकेशन इन इंडिया, नई दिल्ली: श्री पब्लिकेशन, अंसारी रोड ।
- पांडे, ए.के. (2004). इमरजिंग इशूज एन अम्पवारमेंट, नई दिल्ली: अनमोल पब्लिकेशन ।
- ओकले, ए. (2000). सेक्स, जेण्डर और सोसायटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एशिया पब्लिशर्स एसोसियशन विद यू सोसायटी।
- अग्रवाल, उमेश. (2001). भारत में महिला समानता और सशक्तिकरण के प्रयास योजना, नई दिल्ली ।
- जे . व्यास आशुतोष (2014) . जेण्डर , समानता और महिला सशक्तिकरण , जयपुर: आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ।